संख्या-90/2016/916/41-2016-48 यो0/12

प्रेषक

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2016

विषय- ताजगंज परियोजना के अन्तर्गत 15 मलीन बस्ती में किये जा रहे कार्यों के विभिन्न मदों में हुई बचत की धनराशि से गलियों के सुधार व पेय जल व्यवस्था का अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-246/6-1-1 (441)/2015-16, दिनांक 25 मई, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ताजगंज परियोजना के अन्तर्गत 15 मलीन बस्ती में किये जा रहे कार्यों के विभिन्न मदों में हुई बचत की धनराशि से गलियों के सुधार व पेय जल व्यवस्था का अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु आने वाले व्यय रू0 429.87 लाख के आगणन पर स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन की पुनरीक्षित लागत रू0 21559.30 लाख के परीक्षणोपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.07.2015 द्वारा रू0 19727.15 लाख की लागत के अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या-143/2015/3439/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 14.10.2015 द्वारा रू0 19727.15 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है जिसमें से व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति लागत में से रू0 1385.30 लाख की धनराशि 15 मलिन बस्ती के कार्यों के मद में स्वीकृत है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ताजगंज परियोजनान्तर्गत स्लम एरिया के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि में होने वाली बचत की धनराशि रू0 527.76 लाख में से 24 नई गलियों के सुधार व 25 नये सबमरसिबल पम्प की स्थापना हेतु रू0 429.87 लाख की धनराशि व्यय करने की अनुमति निम्नलिखत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निर्माण का कार्य निर्धारित टाईम लाइन के अनुसार पूर्ण किया जायेगा तथा व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायेगें।

2. योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-54/2454/41-2014-48 यो0/12, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-1799/41-2013-48यो0/12, दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एवं शासनादेश संख्या- 106/2015/1555/41-2015-48 यो0/12, दिनांक 01.07.2015 तथा शासनादेश संख्या-143/2015/3439/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 14.10.2015 तथा शासनादेश सं0 80/2016/997/41-2016'48 यो0/12, दिनांक 29.06.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वतन्त्र थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जायेगी जो योजना का समवर्ती निरीक्षण करेगी तथा भुगतान की संस्तुति भी करेगी।
5. योजना के क्रियान्वयन में वित्त विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-90/2016/916(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, आगरा।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0 एन्ड डी0एस0, जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in